① भवन निर्माण विभाग

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(9477)
6/8/26

ज्ञाप सं0–5 / बजट (भ0नि0) 5–222 / 2026 –सा0–........................... /

3050/30509/ 2/8

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

बिहार, पटना।

06 AUG 2026

पटना–15, दिनांक– 2026

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत अनुमंडल कार्यालय, नीमचक बथानी में S/R to E/W & E/I से संबंधित कार्य के लिए कुल ₹22,25,758/- (बाईस लाख पच्चीस हजार सात सौ अंठावन रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :– **स्वीकृत।**

यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत अनुमंडल कार्यालय, नीमचक बथानी में S/R to E/W & E/I से संबंधित कार्य के लिए कुल ₹22,25,758/- (बाईस लाख पच्चीस हजार सात सौ अंठावन रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं0 12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी जाती है।

2. इस राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–01– कार्यालय भवन–051–निर्माण–0104–समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण–सामान्य प्रशासन विभाग के लिये–53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषय शीर्ष, विपत्र कोड 03–4059010510104 मांग संख्या–03 के अन्तर्गत होगा।

3. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार से करेंगे।

4. सामग्री / सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता के अद्यतन संशोधित नियमावली एवं बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नही माना जाय। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.98 में निहित निदेश एवं बंधेज तथा एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्र के आलोक में की जायेगी।

7. यह राशि राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत है।

8. राशि के व्यय विवरणी यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायगी।

9. इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6636 दिनांक 17.07.2026 एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, दक्षिण बिहार, पटना से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दी गयी है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ITM

ज्ञापांक–5 / बजट (भ0नि0) 5–222 / 2026 –सा0–13623 / पटना–15 दिनांक 27.07.26

प्रतिलिपिः– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / बजट सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/07/26

सरकार के अपर सचिव